आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –17 / 2022
रिफत प्रवीण
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
11.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 11841 / 2021 में दिनांक–11.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2022 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"As such, petitioner is granted liberty to file revision within 4 weeks before the Commissioner under Rule 32 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 Challenging the selection of respondent no. 8 by the District Selection Committee as PDS dealer ignoring his claim, although he is placed at Sr. no.1 of the merit list.** **The Commissioner shall decide the revision filed by petitioner after hearing all the parties concerned, including respondent no.8 and shall pass a reasoned and speaking order preferably wihin 8 weeks from the date of filing of such revision."** पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः– (i) दिनांक 16.08.2018 को प्रकाशित ऑपबंधिक मेधा सूची में पुनरीक्षणकर्ता (श्रीमती रिफत प्रवीण) 78.8 % अंक के साथ मेधा क्रमांक 01 पर थी। जबकि विपक्षी सं0–06 (श्रीमती	

WEB COPY NOT OFFICIAL

गोल्डी कुमारी) 50.8 % अंक के साथ मेधा क्रमांक 05 पर थी।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता 1 वर्ष की अवधि का कम्प्यूटर–ज्ञान का प्रमाण–पत्र भी धारित करती है।

(iii) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियम विरूद्ध विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) का चयन किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) का कहना है कि :–

(i) विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन के कंडिका 1(ग) में इंटर एवं 1 (ख) में कम्प्यूटर–ज्ञान ADCA अंकित किया गया था।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता का दावा कि वह कम्प्यूटर–ज्ञान धारित करती है, परंतु उसके द्वारा आवेदन में यह अंकित नहीं किया गया है। इसलिए पुनरीक्षकणकर्ता का चयन नहीं किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आवेदन के समय कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र समर्पित नही किया गया था और न ही आवेदन में अंकित था। विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) द्वारा आवेदन में कम्प्यूटर–ज्ञान से संबंधित सूचना अंकित की गई थी। इसी आधार पर विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) का अनज्ञप्ति हेतु चयन किया गया। अतः यह पुनरीक्षण वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद सीतामढ़ी जिला में पंचायत–हरपुरवा, आरक्षण कोटि–सामान्य महिला के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के विक्रेता की अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। पुनरीक्षणकर्ता (श्रीमती रिफत प्रवीण) और विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) दोनों की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है एवं दोनों आवेदकों द्वारा दावा/आपत्ति के समय कम्प्यूटर–ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया। विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) का कम्प्यूटर–ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र स्वीकार किया गया

WEB COPY NOT OFFICIAL

परंतु श्रीमती रिफत प्रवीण द्वारा समर्पित कम्प्यूटर–ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने आवेदन में कम्प्यूटर–ज्ञान से संबंधित सूचना अंकित नहीं की गयी थी। औपबंधिक मेधा सूची के कम्प्यूटर–ज्ञान से संबंधित कॉलम में पुनरीक्षणकर्ता (श्रीमती रिफत प्रवीण) और विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) दोनों के सामने **'नहीं'** अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) द्वारा औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन के पश्चात् कार्यालय को मेल में लेकर अपने आवेदन में कम्प्यूटर–ज्ञान से संबंधित सूचना अंकित की गयी है। जब पुनरीक्षणकर्ता और विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) दोनो आवेदकों द्वारा दावा/आपत्ति के समय कम्प्यूटर–ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया, तो पुनरीक्षणकर्ता का कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र अस्वीकृत करना एवं विपक्षी सं0–06 (श्रीमती गोल्डी कुमारी) का प्रमाण–पत्र स्वीकृत करना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है एवं इससे संबंधित कोई साक्ष्य निम्न न्यायालय के अभिलेख में भी रक्षित नहीं है।

जिस कारण जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी द्वारा लिया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण पाते हुए प्रस्तुत वाद को जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि आवेदक, विपक्षी सं0–06 एवं सभी संबंधितो को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत यथाशीघ्र नियमानुकूल निर्णय/मुखर आदेश पारित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL